न्यायालय सहायक कलेक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 तारीख फैसला 19.8.22

155/2021

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– मनोहर बाई पुत्री श्री नाथू पत्नि श्री मोडूलाल जाति भील निवासी ख्यावदा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीगण की ओर से – श्री श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादीनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कुनेठिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 352 रकबा 0.65 हेक्टर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.33 हेक्टर, किता 2 कुल रकबा 0.98 हेक्टर स्थित है। उक्त भूमि में वादीनी का हिस्सा 1/7 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

यह कि उक्त विवादित आराजियात वादीनी के नाम से राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम मन्नोदरी नाम सहवन से दर्ज हो गया है जबकि वादीनी का नाम दस्तावेजों में मनोहर बाई है।

यह कि उक्त राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादीनी के नाम दर्ज हो गये। जबकि वादीनी का नाम मनोहर बाई वास्तविक नाम है जो अन्य दस्तावेज, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड में सही नाम अंकित है। राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम मन्नोदरी के स्थान पर मनोहर बाई दर्ज किया जावे। इस लिये वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादीनी ने निवेदन किया है कि ग्राम कुनेठिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 352 रकबा 0.65 हेक्टर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.33 हेक्टर, किता 2 कुल रकबा 0.98 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी की नाम की त्रुटि को दुरूस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:56:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मन्नोदरी बाई के स्थान पर मनोहर बाई का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में मन्नोदरी व मनोहर बाई एक ही महिला होना प्रकट किया है।

वादीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कुनेठिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 352 रकबा 0.65 हेक्टर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.33 हेक्टर, किता 2 कुल रकबा 0.98 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम की त्रुटि को दुरूस्त कर मन्नोदरी बाई के स्थान पर मनोहर बाई का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.8.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:56:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलेक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– मनोहर बाई पुत्री श्री नाथू पत्नि श्री मोडूलाल जाति भील निवासी ख्यावदा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीगण की ओर से – श्री श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

मिसल नं 155 / 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – : वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कुनेठिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 352 रकबा 0.65 हेक्टर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.33 हेक्टर, किता 2 कुल रकबा 0.98 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम की त्रुटि को दुरूस्त कर मन्नोदरी बाई के स्थान पर मनोहर बाई का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 19.8.22 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय [illegible]	0	0
मुत0	0	0	[illegible]	0	0
मिलान	0	0	मिल[illegible]	0	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:56:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
दीगोद

Scanned by CamScanner